रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 325] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 24, 1973/आश्विन 2, 1895
No. 325] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 24, 1973/ASVINA 2, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

ORDERS

New Delhi, the 24th September 1973

S.O. 512(E).—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the registered employers in relation to the (1) Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970, (2) Calcutta Chipping and Painting Workers (Regulation of Employment), 1970 and (3) Calcutta Dock Clerical and Supervisory Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970, Calcutta and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the demand of the registered dock workers of Calcutta port for payment of *ex-gratia* (in lieu of bonus) at a rate higher than 8.1/3 per cent of their gross earnings for the year 1972-73 is justified? If so, at what rate?"

[No. P-12016/2/73-P&D.]

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1973

का० आ० 512(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में (1) कलकत्ता डॉक श्रमिक (नियोजन का विनियमन) योजना, 1970, (2) कलकत्ता चिप्पिंग एण्ड पेंटिंग श्रमिक (नियोजन का विनियमन) योजना, 1970 और कलकत्ता डॉक लिपिकीय तथा पर्यवेक्षी श्रमिक (नियोजन का विनियमन) योजना, 1970 से सम्बद्ध पंजीकृत नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या कलकत्ता पत्तन के पंजीकृत डॉक श्रमिकों की वर्ष 1972-73 के लिए, अपनी कुल आय के $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत से अधिक दर पर अनुग्रहपूर्वक अदायगी (बोनस के बदले) की मांग न्यायोचित है ? यदि हां, तो किस दर से ?"

[संख्या पी०-12016/2/73-पी० एण्ड डी० (i)]

S.O. 513(E).—Whereas, by the order of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. P-12016/2/73-P&D(I) dated the 24th Septemebr, 1973 an industrial dispute between the Registered employers under the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970 the Calcutta Chipping and Painting Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970 and the Calcutta Dock Clerical & Supervisory Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970 and the Registered dock workers of Calcutta Port has been referred to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby prohibits the continuance of strike in existence in connection with the said dispute.

[No. P-12016/2/73-P&D(ii).]

T. S. SANKARAN, Jt. Secy.

का० आ० 513 (अ०).—यतः भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के आदेश संख्या पी०-12016/2/73-पी० एण्ड डी० (i), दिनांक 24 सितम्बर, 1973 द्वारा, कलकत्ता डॉक श्रमिक (नियोजन का विनियमन) योजना, 1970, कलकत्ता चिप्पिंग एण्ड पेंटिंग श्रमिक (नियोजन का विनियोजन) योजना, 1970 और कलकत्ता डॉक लिपिकिय तथा पर्यवेक्षी श्रमिक (नियोजन का विनियमन) योजना, 1970 के अधीन पंजीकृत नियोजकों तथा कलकत्ता पत्तन के पंजीकृत डॉक श्रमिकों के बीच विद्यमान एक औद्योगिक विवाद को न्याय-निर्णयन के लिए केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को निर्देशित किया गया है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 क उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद के सिलसिले में विद्यमान हड़ताल के जारी रखे जाने को प्रतिषिद्ध करती है ।

[संख्या 12016/2/73-पी० एण्ड डी० (ii)]

टी० एस० शंकरन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973